न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 केम्प बलवाडा

पीठासीन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार मीणा (आर0ए0स) उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट डूंगरपुर

प्रकरण संख्या 1/23 दायर तारीख 05.06.2023

निर्णय तारीख 05.06.2023

अन्तदान:–

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर

अपीलान्ट

बनाम

सूर्या पत्नी दिनेशचन्द्र पंचाल, निवासी प्रतापनगर डूंगरपुर

रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956
बाबत् ग्राम पंचायत रामपुरसती द्वारा निर्णित नामान्तरण निरस्त किये जाने के विरूद्ध।

निर्णय

दिनांक 05.06.2023

अपीलान्ट की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् ग्राम मौजा रामपुर पटवार मण्डल सतीरामपुर तहसील व जिला डूंगरपुर की हाल खसरा संख्या 1797, 1798 रकबा क्रमशः 0.01, 2.09 हैक्टेयर खातेदार श्रीमती माया गोयनका पत्नी श्री शिवचरण जाति अग्रवाल निवासी गॉधी आश्रम डूंगरपुर हिस्सा 1/3 हकीमुद्दीन पिता अब्बास अली खाण्डवाला जाति बोहरा निवासी शास्त्री कॉलोनी डूंगरपुर हिस्सा 1/3, जाकीर खान पिता अयुब खान जाति मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी पातेला कच्ची बस्ती, डूंगरपुर हिस्सा 1/3 द्वारा जरिये विकेय विलेख क्रमांक 202203197104862 दिनांक 22.12.2022 से सह खातेदार हकीमुद्दीन का सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 व दो अन्य सहखातेदारों के हिस्से की भूमि को शामिल कर कुल 9 बीघा भूमि अर्थात 1.44 हैक्टेयर भूमि का विकय प्रतिवादी श्रीमती सूर्यादेवी पत्नी दिनेशचन्द्र पंचाल निवासी प्रताप नगर डूंगरपुर को किया गया। बाद प्राप्ति पंजिकृत विकयविलेख प्रतिवादी द्वारा कय पत्र की प्रति संबंधित पटवारी हल्का सतीरामपुर को प्रस्तुत की पटवारी हल्का द्वारा पंजिकृत कय पत्र का नामान्तकरण 46 पर नामान्तरकरण दर्ज करते समय कय पत्र को बिना पढे तीनों सहखातेदारों के फोटो एवं हस्ताक्षर मात्र देख सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी के पक्ष में दर्ज कर लिया एवं हस्ताक्षर मात्र देख सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी के पक्ष में दर्ज कर लिया एवं जॉच हेतु संबंधित भूअभिलेख निरीक्षक रामपुर को प्रस्तुत किया। भूअभिलेख निरीक्षक उस समय प्रस्तावित हाईवे 927 के के भूमि अवाप्ति पत्रावलिया तैयार कराने उपखण्ड कार्यालय में व्यवस्थ होने से जल्दबाजी में रूटीन में पटवारी हल्का के इन्द्राज पर विश्वास पर सामान्यतः की जाने वाली टिप्पणी अंकित कर दी एवं तदुपरान्त दिनांक 20.01.2023 के ग्राम पंचायत की कोरम बैठक में स्वीकृत हो प्रतिवादी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी। उरोक्त नामान्तरकरण संख्या 46 की स्वीकृति करीब चार माह बाद पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के संज्ञान में आया कि प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कय की गई भूमि से अधिक भूमि का हस्तान्तरण भूलवश हो गया है। इस भूल से व्यथीत हो भूल सुधार

... की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दाद चाही है। तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर गम्भीरता पूर्वक विवेचन किया एवं पाया कि उपरोक्त अधिक हस्तानान्तरण में पटवारी हल्का/ भू अभिलेख निरीक्षक का किसी प्रकार का मेलाफाईड इन्टेनशन प्रतीत नही हो महज एक भूलवंश त्रुटी हो जाने से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नामान्तरकरण 46 स्वीकृत दिनांक 20.01.2023 को निरस्त करा पुनः मूल खातेदारों के नाम दर्ज करा प्रतिवादी के पक्ष में कय पत्र में विकित भूमि अनुरूप नवीन नामान्तरकरण दर्ज कराने आदेश हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 केम्प बलवाडा में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा केम्प स्थल पर उपस्थित हो, विकय विलेख अनुरूप कय की गई भूमि का ही नामान्तरकरण उनके पक्ष में दर्ज करने अपने बयानों में सहमति दी। अपीलार्थी ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ अपील को स्वीकार करने निवेदन किया है।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुये पत्रावली एवं इसमें संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजात को देखने से यह विदित होता है कि ग्राम सतीरामपुर का नामान्तरण संख्या 46 दिनांक 20.01.2023 जिसकों सरपंच ग्राम पंचायत सतीरामपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.01.2022 द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करना उचित समझता हूँ।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 20.01.2023 ग्राम सतीरामपुर के संबंध में तहसीलदार डूंगरपुर को प्रकरण प्रतिप्रेक्षित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपील में वर्णित सभी तथ्यों एवं खाते का परीक्षण करते हुये पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे ।

(प्रवीण कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर